

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 62/2024

UPRN180001362024



सरकार

बनाम

शनी सिंह उर्फ अनुराग सिंह आदि

धारा 325, 323, 504, 506 भा०द०सं०

मु०अ०सं० 467/2022

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप लोगों सनी सिंह उर्फ अनुराग सिंह पुत्र करन सिंह व ज्ञान सिंह पुत्र प्यारे सिंह को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम- यह कि दिनांक 07/08/2022 को समय 20.00 बजे बहद स्थान ग्राम कटरा थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा जयसिंह को लाठी-डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **325 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा जयसिंह को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **323 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा जयसिंह को लोकशान्ति भंग कराने के प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **504 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा जयसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **506 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप लोगों को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 23/09/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 23/09/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562